30/5/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। प्रार्थी स्वं भी अनुपस्थित है। इनकी ओर से कोई वकील भी उपस्थित नहीं है। बार-बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः राजस्व प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)